

मुकदमों का विवरण

जयवीर सिंह और अन्य बनाम

उत्तरखंड राज्य और अन्य (2023 की सिविल अपील संख्या 7871-7872)

नवंबर 28, 2023

[बी. आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया गया था कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान-एन. आई. ओ. एस. द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा-ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से संचालित प्राथमिक में 18 महीने का डिप्लोमा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद-एन. सी. टी. ई. की अधिसूचना के तहत आवश्यक प्राथमिक शिक्षा में 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर है।

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 -एस. 23-शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा के नियमों और शर्तों के लिए योग्यता प्रमाण-राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद-एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रमाण-इसके बाद, सेवा नियम, 2012 जारी किए गए और समय-समय पर संशोधित किए गए-उच्च शिक्षा विभाग-एम. एच. आर. डी. ने एक पत्र जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षकों के पास अनिवार्य रूप से न्यूनतम योग्यता प्रमाण होना चाहिए और सभी शिक्षकों को 31 मार्च, 2019 तक इसे प्राप्त करने का अंतिम मौका दिया गया था-इसके बाद, एन. सी. टी. ई. ने एक मान्यता आदेश जारी किया, जिससे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान-एन. आई. ओ. एस. द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा-ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से प्राथमिक Education-D.El.Ed कार्यक्रम में डिप्लोमा आयोजित किया गया, जिसने डिप्लोमा की अवधि को 2 साल से घटाकर

597

रक्तियां जारी की गईं-हालांकि, उक्त आदेश को वापस ले लिया गया-उसी को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं-उच्च न्यायालय ने कहा कि एन. आई. ओ. एस. द्वारा प्राथमिक शिक्षा में ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा पद पर आवेदन करने के लिए एक वैध डिप्लोमा है और यह कि, सेवा में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में, जो 18 महीने से गुजर चुके हैं। कार्यक्रम को उनकी उम्मीदवारी से वंचित करके भेदभाव नहीं किया जा सकता है-चुनौती दी गई, उन उम्मीदवारों द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा रखते हैं:

आयोजित किया गया: सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप रहते हैं, तो वे कमियों को दूर

कर सकते हैं और नियमों को पूरा कर सकते हैं और पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत निर्देश जारी कर सकते हैं-कोई प्राधिकरण वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए आदेश/आधिकारिक ज्ञापन/कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता है-हालांकि, निर्देश केवल वैधानिक नियमों के पूरक के लिए जारी किए जा सकते हैं, लेकिन इसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं-एन. सी. टी. ई. मान्यता आदेश जारी किया गया था ताकि एम. एच. आर. डी. के निर्देशों को प्रभावी बनाया जा सके ताकि उन शिक्षकों को एक बार का समय मिल सके जो पहले से ही काम कर रहे थे और जिन्हें 2017 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में 01.04.2019 से पहले न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता थी, अन्यथा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता। एड। एन. आई. ओ. एस. द्वारा आयोजित डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है, यह गलत है-एन. सी. टी. ई. द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 साल का डिप्लोमा प्रदान करने के लिए जारी किए गए प्रभाव अधिनियम के लिए कोई अधिसूचना नहीं है-एन. सी. टी. ई. को एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में, न्यूनतम योग्यता के प्रमाण निर्धारित करने का अधिकार है, और अधिसूचना के अनुसार, एन. सी. टी. ई. ने ऐसा किया है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है-प्राथमिक शिक्षक उत्तराखंड सरकारी प्राथमिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 2012।[पैरा 34-36,41-43]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

संजय कुमार यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य, 2019 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 19842; श्री राजू नामा और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य,

2020 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 87-अस्वीकृत।

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य 600

599

राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 5 एस. सी. सी. 401-आयोजित अप्रयोज्य।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य

(2022) 11 एस. सी. सी. 392/2022 आई. एन. एस. सी. 77; जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य बनाम अजय डोगरा (2011) 14 एस. सी. सी. 243:[2011] 6 एस. सी. आर. 57; सुरेश कुमार

ललितकुमार पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 167; एस. सत्यपाल रेड्डी और अन्य बनाम ए. पी. सरकार और अन्य

(1994) 4 एससीसी 391:[1994] 3 एस. सी. आर. 934; देवेंद्र भास्कर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1116-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील Nos.7871-7872।

नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2021 के WPSS No.207 में दिनांकित 29.09.2022 और 2021 के WPSS No.350 में दिनांकित 14.09.2022 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील सं. 7873।

रूप:

जतिंदर कुमार सेठी, डी. ए. जी., यू. के. उनियाल, Sr.Adv, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, निशांत शर्मा, दिनेश के. गर्ग, अभिषेक गर्ग, धनंजय गर्ग, ईशान तिवारी, सुश्री इशिता बिस्त, आर. पी. बंसल, चाणक्य गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

वी. के. शुक्ला, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सूर्योदय प्रकाश तिवारी, देवेंद्र कुमार शुक्ला, सुश्री शची पांडे, केशरी कुमार तिवारी, आदित्य मिश्रा, सुश्री निकिता आनंद, सूर्योदय प्रकाश तिवारी, सुश्री शची पांडे, आशीष कुमार तिवारी, सुश्री लुबना नाज, सुश्री तहशीना जेड हुसैन, रजनीश कुमार झा, सुश्री मनीषा टी. करिया, सुश्री निधि नागपाल, आदिया केसर, आदित्य केसर, रोहन त्रिवेदी, सुश्री स्वप्निल बौध, अरुण कुमार, सारंग सुरेंद्र चौधरी, शशांक सुरेंद्र चौधरी, शिवम सुरेंद्र चौधरी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, वरिंदर कुमार शर्मा, शांतनु शर्मा, सुश्री दीक्षा गौड़, सुश्री।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

पारुल शर्मा, फुजैल अहमद अयूबी, इबादत मुश्ताक, सुश्री आकांक्षा राय, सुमीर सोधी, ध्रुव वाधवा, घनश्याम सिंह, सोनित सिंहमार, रजनीश कुमार झा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

बी. आर. गवई, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14 सितंबर 2022 के सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के सचिव द्वारा 10 फरवरी 2021 को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने 15 जनवरी 2021 के अपने पहले के आदेश को याद किया था। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा (संक्षेप में, "डी. एल. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (इसके बाद 'एन. आई. ओ. एस.' के रूप में संदर्भित) द्वारा प्राथमिक शिक्षा में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (संक्षेप में, 'ओ. डी. एल.') मोड के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला एड.) उत्तराखंड राज्य में सहायक शिक्षकों (प्राथमिक) के नियमित पदों के लिए आवेदन करने के लिए एक वैध डिप्लोमा है। इसलिए उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार उनके द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर उक्त पद के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करे।

3. 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 23583-84 से उत्पन्न होने वाली अपीलों का नेतृत्व उन उम्मीदवारों द्वारा किया जाता है जिनके पास प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा है, जबकि 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 23943 से उत्पन्न होने वाली अपील का नेतृत्व उत्तराखंड राज्य करता है।

4. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

4.1 27 अगस्त 2009 को बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (जिसे इसके बाद "आर. टी. ई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को अधिसूचित किया गया था। आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसी न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। उसकी उप-धारा (2) 601 को सक्षम बनाती है।

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 602

केंद्र सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, अधिसूचना द्वारा, एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में ढील देने के लिए, ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्षों से अधिक न हो। उसकी उप-धारा (2) के पहले परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि एक शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वह पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा। 2017 के अधिनियम 24 द्वारा जोड़ी गई इसकी उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक में यह भी प्रावधान किया गया है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पद पर काबिज एक शिक्षक, जिसके पास उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वह बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (जिसे इसके बाद "2017

संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रारंभ की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा।

4.2 केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (इसके बाद "एम. एच. आर. डी". के रूप में संदर्भित) के माध्यम से 31 मार्च 2010 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संक्षेप में, "एन. सी. टी. ई".) को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण निर्धारित करने के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया।

4.3 एन. सी. टी. ई. ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से किसी व्यक्ति के लिए पहली से आठवीं कक्षा के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है।

4.4 वर्ष 2012 में, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 58 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके उत्तराखंड सरकार प्राथमिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम 2012 (इसके बाद "2012 सेवा नियम" के रूप में संदर्भित) को लागू किया। 2012 के सेवा नियमों ने उत्तराखंड राज्य में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित किए। 2012 के सेवा नियमों में समय-समय पर संशोधन किया गया था।

4.5 12 नवंबर 2014 को, एन. सी. टी. ई. ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण) विनियम 2014 (इसके बाद संदर्भित) को अधिसूचित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

"2014 विनियम" के रूप में)। 2014 के विनियम पहले के सभी विनियमों के स्थान पर थे।

4.6 आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के दूसरे प्रावधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एम. एच. आर. डी. ने 3 अगस्त 2017 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सचिवों को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षकों के पास आर. टी. ई. अधिनियम के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और ऐसे सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने का अंतिम मौका दिया जा रहा था।

4.7 एन. सी. टी. ई. ने 22 सितंबर 2017 को एक मान्यता आदेश जारी किया, जिससे सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करने वाले प्राथमिक स्तर पर सेवाकालीन अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एम. एच. आर. डी. के स्वयं पोर्टल के माध्यम से एन. आई.

ओ. एस. द्वारा ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से D.El.Ed. कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त मान्यता आदेश ने डिप्लोमा की अवधि को भी 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया।

4.8 एम. एच. आर. डी. ने 11 अक्टूबर 2017 के अपने पत्र के माध्यम से एन. आई. ओ. एस. और राज्य सरकारों को उस पत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (संक्षेप में, "एम. ओ. यू.") पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया।

4.9 16 फरवरी 2018 को एन. आई. ओ. एस. ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया जिसमें अपने क्षेत्रीय निदेशकों को अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए D.El.Ed पाठ्यक्रम को लागू करने का निर्देश दिया गया।

4.10 ऐसा प्रतीत होता है कि पटना उच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया था

21 जनवरी 2020 में संजय कुमार यादव और अन्य बनाम राज्य के मामले में

बिहार 1 ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, एन. सी. टी. ई. ने अवैध रूप से निर्देश जारी किया है कि जिन व्यक्तियों ने एन. आई. ओ. एस. द्वारा 18 महीने के लिए D.El.Ed. पाठ्यक्रम प्राप्त किया था, वे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। इसने अभिनिर्धारित किया कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, एन. सी. टी. ई. का उक्त निर्देश श्री राजू के मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2 मार्च 2020 के अपने फैसले में इसी तरह के दृष्टिकोण से जारी स्पष्टीकरण को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और गलत तरीके से पढ़ने पर जारी किया गया था।

नामा और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य **2.**

1 2019 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 19842 2020 603 का 2 डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 87

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 604

4.11 29 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पद के लिए जिलावार विज्ञापन जारी किए हैं। उक्त विज्ञापन 2012 के सेवा नियमों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार जारी किए गए थे।

4.12 इस बीच, एन. सी. टी. ई. ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 6 जनवरी 2021 को एक पत्र जारी किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि एन. सी. टी. ई. ने संजय कुमार यादव (उपरोक्त) के मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने का फैसला किया है और उन सभी उम्मीदवारों पर विचार करने का अनुरोध किया है जिन्होंने ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से एन. आई. ओ. एस. का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। इसने आगे अनुरोध किया कि उन्हें अन्य D.El.Ed उम्मीदवारों के बराबर नई भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे अन्य सभी मानदंडों और योग्यता आवश्यकताओं का पालन करें।

4.13 एन. सी. टी. ई. के उक्त पत्र के अनुसरण में, उत्तराखंड सरकार के सचिव ने 15 जनवरी 2021 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखंड को एक पत्र जारी किया, जिसमें ऐसे उम्मीदवारों को अनुमति दी गई, जिन्होंने 18 महीने D.El.Ed उत्तीर्ण किए हैं। जिला-वार विज्ञापनों के माध्यम से जारी रिक्तियों के खिलाफ सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए आवेदन करने के लिए ओडीएल मोड के माध्यम से एनआईओएस का डिप्लोमा। हालाँकि, इसके तुरंत बाद, यह महसूस करते हुए कि 2012 के सेवा नियमों (समय-समय पर संशोधित) में, 18 महीने D.El.Ed हैं। एन. आई. ओ. एस. से ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से डिप्लोमा को पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, इसने 10 फरवरी 2021 को एक संचार जारी कर 15 जनवरी 2021 के अपने पहले के पत्र को वापस ले लिया। 4.14 10 फरवरी 2021 के उपरोक्त पत्र को उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। 3 मार्च 2021 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 10 फरवरी 2021 के विवादित पत्र को सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रखा जाए। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2021 को संशोधित किया गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया को रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन जारी रखने की अनुमति दी गई थी। 4.15 विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने माना कि 18 महीने D.El.Ed। एन. आई. ओ. एस. द्वारा प्राथमिक शिक्षा में ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण डिप्लोमा को 2 साल के D.El.Ed कार्यक्रम की तुलना में कम या निम्न योग्यता वाला नहीं कहा जा सकता है। इसने अभिनिर्धारित किया कि सेवाकालीन शिक्षकों के संबंध में, जो ओडीएल मोड के माध्यम से एनआईओएस द्वारा संचालित 18 महीने के D.El.Ed कार्यक्रम से गुजरे हैं, राज्य सरकार उन्हें अपने कार्यकाल को समाप्त करने से रोककर भेदभाव नहीं कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

उत्तराखंड राज्य में सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए उम्मीदवारी। इस प्रकार, इसने उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी 10 फरवरी 2021 के पत्र को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया। इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपीलें।

5. हमने उत्तराखंड राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता श्री जतिंदर कुमार सेठी, 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 23583-84 से उत्पन्न अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू. के. उनियाल और प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा पूरा करने वाले उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्री वी. के. शुक्ला और श्री सलमान खुर्शीद को सुना है। हमने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुमीर सोधी और एन. सी. टी. ई. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मनीषा टी. करिया को भी सुना है। 6. अपीलार्थियों की ओर से श्री उनियाल ने प्रस्तुत किया है कि 2014 के विनियम स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आवश्यक योग्यता थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2014 के विनियमों के खंड 4 के तहत, एन. सी. टी. ई. को

ऐसी समय अवधि के लिए विनियमों के कुछ प्रावधानों में ढील देने की शक्ति दी गई है और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन है जो वह आवश्यक समझे। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट स्तर 3 (कक्षा I से VIII) के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में विनियमों के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 22 सितंबर 2017 को एन. सी. टी. ई. द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से एन. आई. ओ. एस. द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता आदेश केवल 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करने वाले प्राथमिक स्तर पर सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह 6 सितंबर 2019 के एन. सी. टी. ई. के संचार से स्पष्ट है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त संचार स्वयं स्पष्ट करेगा कि जहां तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का संबंध है, प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक होगा।

7. श्री सेठी ने राज्य की ओर से विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि एन. सी. टी. ई. द्वारा 605 के साथ पठित धारा 23 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा की योग्यता निर्धारित की गई थी।

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 606

आरटीई अधिनियम की धारा 2 (जे)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य ने तदनुसार निर्धारित वैधानिक योग्यता के अनुरूप 2012 सेवा नियम बनाए हैं। 6 जनवरी 2021 के एक कार्यकारी निर्देश द्वारा, एन. सी. टी. ई. राज्य सरकार को एक सांविधिक विनियमन में संशोधन या ओवरराइड करने का निर्देश नहीं दे सकता है। इस संबंध में भरोसा इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 3.

8. श्री सेठी ने आगे कहा कि न तो सांविधिक नियमों और न ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाले विज्ञापन को किसी भी अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई थी। मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने केवल एक आदेश की मांग की थी कि उन्हें विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए भी विचार करने की अनुमति दी जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता था जो सांविधिक नियमों और विज्ञापन के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता के विपरीत हो। इस संबंध में निर्णय पर भरोसा रखा गया है।

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य बनाम अजय डोगरा 4 के मामले में इस न्यायालय का।

9. श्री सेठी ने आगे कहा कि एक बार विज्ञापन जारी होने और 2012 के सेवा नियमों और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाले विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, आवश्यक शर्तों को बदलने के लिए एक आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में रिलायंस को इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

सुरेश कुमार ललितकुमार पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य **5.**

10. श्री सेठी ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने 18 महीने के डिप्लोमा को 2 साल के डिप्लोमा के बराबर करने की कवायद करने में गलती की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की कवायद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के दायरे से बाहर थी।

11. इसके विपरीत, सुश्री अरोड़ा ने प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा पूरा करने वाले उम्मीदवारों की ओर से कहा कि एक बार राज्य सरकार ने 15 जनवरी को एक पत्र जारी किया था

3 (2022) 11 एससीसी 392/2022 आईएनएससी 77 4 (2011) 14 एससीसी 243/2011 आईएनएससी 281

5 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 167/2023 आई. एन. एस. सी. 145

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

2021 जिन उम्मीदवारों ने एन. आई. ओ. एस. से ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से 18 महीने की अवधि का डिप्लोमा प्राप्त किया है, उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देते हुए, राज्य को 10 फरवरी 2021 के संचार के माध्यम से इसे वापस लेने की अनुमति नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 10 फरवरी 2021 के पत्र में लिया गया राज्य सरकार का निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार एन. आई. ओ. एस. द्वारा ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से 18 महीने के डिप्लोमा को एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता दी गई थी, जो एक सक्षम प्राधिकरण है, राज्य उन उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता था जो नियमित 2 साल के पाठ्यक्रम या ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से 18 महीने के पाठ्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह डिप्लोमा धारकों के बीच एक कृत्रिम भेदभाव पैदा करने के बराबर होगा जब दोनों को एन. सी. टी. ई. द्वारा विधिवत मान्यता दी जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब उम्मीदवारों के पास एन. सी. टी. ई. द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त डिप्लोमा हो जाता है, तो वे चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होते हैं।

12. श्री खुर्शीद ने प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा पूरा करने वाले उम्मीदवारों की ओर से कहा कि अदालत को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को लागू करना होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एनआईओएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से 18 महीने के डिप्लोमा के लिए एक विशेष प्रावधान करना अप्रशिक्षित शिक्षकों को योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से था जो पहले से ही काम कर रहे थे। एक बार जब वे उस योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, तो सभी पक्ष समान हो जाते हैं और 18 महीने का डिप्लोमा पूरा करने वाले उम्मीदवारों और 2 साल का डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच भेदभाव करने की अनुमति नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय को निहित समतुल्यता के सिद्धांत का आह्वान करना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

13. श्री शुक्ला ने प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा पूरा करने वाले उम्मीदवारों की ओर से कहा कि एन. सी. टी. ई. एक सक्षम प्राधिकारी है जिसके पास इस मामले में अंतिम अधिकार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब एन. सी. टी. ई. ने 6 जनवरी 2021 को अपने संचार के माध्यम से संजय कुमार यादव (उपरोक्त) के मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने का फैसला किया था और उन उम्मीदवारों को निर्देश दिया था जिन्होंने ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से एन. आई. ओ. एस. का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, तो राज्य इसके विपरीत कार्रवाई नहीं कर सकता था।

14. एन. सी. टी. ई. की ओर से सुश्री करिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को सही मंजूरी दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मान्यता आदेश 607

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 608

दिनांक 22 सितंबर 2017 को एन. सी. टी. ई. द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14 (3) (ए) और 15 (3) (ए) (इसके बाद "एन. सी. टी. ई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और एन. सी. टी. ई. (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के खंड 7 (6) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए 6 महीने की इंटर्नशिप सहित 18 महीने के पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 के तहत प्राप्त केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जारी किया गया था जो एन. सी. टी. ई. पर बाध्यकारी था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2017 के संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए पूरे भारत में 31 मार्च 2019 तक लगभग 11 लाख सेवाकालीन अप्रशिक्षित शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता अर्जन और प्रशिक्षण को सक्षम बनाने के लिए आदेश जारी किया गया था। इस संबंध में राम शरण मौर्य के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया गया है।

v. उत्तर प्रदेश राज्य 6.

15. अपने प्रस्ताव के समर्थन में, सुश्री करिया ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. टी. ई. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रदान करने का हकदार था और एक बार जब उसने 22 सितंबर 2017 को मान्यता आदेश जारी कर दिया था, जिसमें ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से एन. आई. ओ. एस. द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए प्रदान किया गया था, तो दिए गए डिप्लोमा उन उम्मीदवारों के बराबर थे, जिन्होंने 2 साल का पाठ्यक्रम पूरा किया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

“23. नियुक्ति और नियम और शर्तों के लिए योग्यता प्रमाण

शिक्षकों की सेवा।— (1) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसी न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं हैं, या उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, केंद्र सरकार, यदि वह समझती है, तो ऐसा कर सकती है।

6 (2021) 5 एस. सी. सी. 401/2020 आई. एन. एस. सी. 646

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आवश्यक, अधिसूचना द्वारा, एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता राशियों में ढील दी जाए, ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्षों से अधिक न हो, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि एक शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता राशन नहीं है, वह पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता राशन प्राप्त करेगा:[बशर्ते कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पद पर तैनात प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता राशन नहीं है, वह बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता राशन प्राप्त करेगा।]

(3) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।”

17. इस प्रकार आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) से यह देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एक शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। इसकी उप-धारा (2) केंद्र सरकार को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में ढील देने की अनुमति देती है, ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्षों से अधिक न हो, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह तब किया जा सकता है जब किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं हैं, या उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उसकी उप-धारा (2) के प्रथम परंतुक में यह प्रावधान है कि एक शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वह पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा।

18. 2017 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 1 अप्रैल 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में एक दूसरा प्रावधान जोड़ा गया था। इसमें यह

प्रावधान है कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पद पर तैनात प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वह 2017 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा।

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 610

609

19. यह आगे देखा जा सकता है कि आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने एन. सी. टी. ई. को एक शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में किसी व्यक्ति के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। तदनुसार, एन. सी. टी. ई. ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी। उक्त अधिसूचना में 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया। निर्विवाद रूप से, उक्त अधिसूचना एन. सी. टी. ई. द्वारा आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी।

20. उत्तराखंड सरकार ने 28 अगस्त 2012 की अधिसूचना के माध्यम से 2012 के सेवा नियमों को अधिसूचित किया। 2012 के सेवा नियमों के तहत प्रदान की गई न्यूनतम योग्यता संबंधित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केंद्र से उत्तराखंड में बी. टी. सी. के रूप में जाना जाने वाला प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा (D.El.Ed) था। उक्त 2012 सेवा नियमों को वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था। हालांकि, जहाँ तक 2 साल के D.El.Ed पाठ्यक्रम की आवश्यकता का संबंध है, यह वही रहा। 21. एन. सी. टी. ई. ने एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 12 ए के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (डी. डी.) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूनतम योग्यता प्रदान करने वाले 2014 विनियमों को अधिसूचित किया। जहाँ तक कक्षा I से VIII तक का संबंध है, न्यूनतम योग्यता निर्धारण पहले की अधिसूचना में दिए गए समान रहे।

22. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के लिए दूसरा परंतुक 2017 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, हालांकि, 1 अप्रैल 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। इस प्रकार, जिन शिक्षकों को 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पद पर रखा गया था, उन्हें 1 अप्रैल 2015 से 4 साल की अवधि के भीतर अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा 3 अगस्त, 2017 को संबोधित पत्र स्थिति को स्पष्ट करेगा, जो इस प्रकार है:

“यह सरकार/सरकार में अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त-निजी विद्यालय। यह बताया गया है कि इस तरह के प्रशिक्षण की अवधि को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) में संशोधन को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।

2. इसके अलावा, यह दोहराया जाता है कि यह आवश्यक न्यूनतम पेशेवर योग्यता प्राप्त करने का अंतिम मौका होगा। किसी भी शिक्षक में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

उपरोक्त विद्यालय, जिनके पास आर. टी. ई. अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यता नहीं है, उन्हें 1 अप्रैल, 2019 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”

23. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में काम करने वाले ऐसे सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता थी अन्यथा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने ऐसे सभी शिक्षकों के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया था। उक्त पत्राचार के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न निर्देश जारी किए गए थे ताकि लाखों शिक्षक, जो अप्रशिक्षित थे, उन्हें 1 अप्रैल 2019 से पहले आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र मिल सकें। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखंड द्वारा 8 सितंबर 2017 को मुख्य शिक्षा कार्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय, उत्तराखंड को संबोधित पत्र इस स्थिति को और स्पष्ट करेगा। 24. ऐसा प्रतीत होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, एन. सी. टी. ई. ने 22 सितंबर 2017 को मान्यता आदेश जारी किया। उक्त मान्यता आदेश की प्रस्तावना का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है: “जबकि, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) नोएडा के परियोजना प्रस्ताव को D.E.I.Ed के लिए मान्यता देने का मामला। सेवाकालीन अप्रशिक्षित शिक्षक सभक प्रशिक्षणक लेल मानव संसाधन विकास मंत्रालयक स्वयं पोर्टलक माध्यमसँ (ओडीएल) कार्यक्रम पर एन. आर. सी. द्वारा विचार कयल गेल आ एन. आर. सी. निम्नलिखित रूप में काज कयलक -

और जबकि, एन. सी. टी. ई. को एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 की धारा 29 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनके पत्र सं. 11-15/2017-EE-10 दिनांकित 21.08.2017 और 04.09.2017। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी. ई. 1) की मान्यता के लिए परियोजना प्रस्ताव। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन. आई. ओ. एस.) द्वारा एन. सी. टी. ई. मुख्यालय को ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से एड.) कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव ऑनलाइन डी. ई. एल. आयोजित करने का है। देश में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करने वाले प्राथमिक स्तर पर सेवा में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से एड कार्यक्रम।

और जबकि, उक्त परियोजना प्रस्ताव पर एन. सी. टी. ई. द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 131 दिनांक 19-09-611 के आदेश के माध्यम से विचार किया गया है।

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 612

2017. समिति ने परियोजना पर विचार किया और पाया कि एन. आई. ओ. एस. कार्यक्रम के संचालन के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है और उसमें प्रस्तावित पाठ्यक्रम D.El.Ed की आवश्यकता को पूरा करता है। (ओडीएल) और क्योंकि, एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 की धारा-29 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, अध्यक्ष एन. सी. टी. ई. ने एन. सी. टी. ई. (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के खंड 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एन. सी. टी. ई. मुख्यालय के पत्र सं. एन. सी. टी. ई.-विनियमन-2014 में निम्नलिखित प्रावधानों के लिए एन. सी. टी. ई.-विनियमन/66/2017-यू. एस. (विनियमन)-मुख्यालय दिनांक 21-09-2017 और पत्र दिनांक 22.09.2017 यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर. टी. ई. अधिनियम, 2009 में संशोधन को लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों को विधिवत पूरा किया जा रहा है।”25. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त मान्यता आदेश जारी किया गया था ताकि 2017 के संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों को विधिवत पूरा किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि एम. एच. आर. डी. द्वारा जारी किए गए निर्देशों और 31 मार्च 2019 के बीच का समय अंतराल केवल 18 महीने था, इसलिए निश्चित रूप से यह अवधि 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दी गई। इस स्थिति को उक्त मान्यता आदेश से ही स्पष्ट किया जाएगा, जो इस प्रकार है:

“II. कार्यक्रम की अवधि से संबंधित कोई भी प्रावधान ताकि इसे 2 साल के बजाय 18 महीने तक कम किया जा सके और 6 महीने की इंटर्नशिप की आवश्यकता को 18 महीने की अवधि के भीतर शामिल किया जाए।26. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा राज्य सरकारों के सचिवों को संबोधित 11 अक्टूबर 2017 का पत्र इस स्थिति को और स्पष्ट करेगा। लगभग 12,91,880 सेवा में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों ने 30 सितंबर 2017 तक एन. आई. ओ. एस. पोर्टल पर पंजीकरण किया था और भुगतान किया था। उक्त संचार से यह भी स्पष्ट है कि उक्त पाठ्यक्रम विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि केवल सेवारत प्राथमिक शिक्षक ही D.El.Ed पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत हैं।

27. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा एक पत्र को संबोधित किया गया था जिसमें D.El.Ed रखने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। (ओ. डी. एल.) एन. आई. ओ. एस. से योग्यता प्राप्त करता है। 6 सितंबर 2019 के एन. सी. टी. ई. के उत्तर का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

“मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर आपके दिनांकित 29-08-2019 पत्र का उल्लेख करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आपका अभ्यावेदन D.El.Ed के साथ योग्य है। एन. आई. ओ. एस. से (ओ. डी. एल.) की जांच की गई है। प्राथमिक अधिसूचनाएं वे हैं जो दिनांक 23-08-2010 और 29-07-2011 (शिक्षकों की नियुक्ति के लिए

न्यूनतम योग्यता का निर्धारण, परिशिष्ट-9 और एन. आर. सी., एन. सी. टी. ई. से एन. आई. ओ. एस. को D.El.Ed को मान्यता देने के लिए जारी किया गया दिनांक 22-09-2017 का आदेश है। (ओडीएल) कार्यक्रम। उपरोक्त अधिसूचनाओं (प्रतियां संलग्न) से निम्नलिखित बिंदुओं का अनुमान लगाया गया है।

I. एन. सी. टी. ई. अधिसूचना दिनांक 23-08-2010 और 29-07-2011 के अनुसार कक्षा I-V और VI-VIII के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में से एक प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (जोर दिया गया) है।

II. एन. आर. सी. एन. सी. टी. ई. आदेश दिनांक 22-09-2017 D.El.Ed के अनुसार। एन. आई. ओ. एस. का (ओ. डी. एल.) कार्यक्रम केवल उन गैर-प्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षकों के लिए है जो सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 10-08-2017 पर या उससे पहले नियुक्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम की अवधि 18 महीने (जोर दिया गया) है।

2. इसलिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए, टी. ई. टी. के लिए दिनांकित 23-08-2010 और 29-07-2011 अधिसूचना का सख्ती से पालन करना भी एक अनिवार्य आवश्यकता है।” 28. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 6 सितंबर 2019 तक, एन. सी. टी. ई. का यह भी विचार है कि पहली से आठवीं कक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा है। यह आगे स्पष्ट करता है कि 22 सितंबर 2017 का एन. सी. टी. ई. मान्यता आदेश केवल सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में उन अप्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षकों के लिए था, जिन्हें 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था। यह आगे स्पष्ट करता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए, 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की एन. सी. टी. ई. अधिसूचना का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को निर्दिष्ट करती है, वहीं 22 सितंबर 2017 का एन. सी. टी. ई. मान्यता आदेश केवल एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 के तहत एम. एच. आर. डी. द्वारा जारी निर्देशों को संदर्भित करता है।

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 614

613

29. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूरी योजना सेवा में कार्यरत शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से थी क्योंकि जब तक वे 1 अप्रैल 2019 से पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे सेवा में बने नहीं रह सकते थे और उन्हें सेवा से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता। इस प्रकार, हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि एन. आई. ओ. एस. द्वारा ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है जैसा कि एन. सी. टी. ई. की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 में प्रदान किया गया है।

30. विवादित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने संजय कुमार यादव (ऊपर) के मामले में पटना उच्च न्यायालय और श्री राजू नामा (ऊपर) के मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले में, हालांकि एन. सी. टी. ई. द्वारा बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को संबोधित संचार का संदर्भ दिया गया है, लेकिन इसने उक्त संचार को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उक्त पाठ्यक्रम को 2 साल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जा सकता है। 18 महीने के पाठ्यक्रम को 2 साल के पाठ्यक्रम के साथ समकक्षता प्रदान करने वाले एन. सी. टी. ई. के एक विशिष्ट सी आदेश के अभाव में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने यह कहने में पूरी तरह से गलती की है कि चूंकि उक्त संचार में गैर-समकक्षता का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे समकक्ष माना जाएगा।

31. हमें लगता है कि पटना उच्च न्यायालय ने एन. सी. टी. ई. के रुख को प्रभावी नहीं ठहराते हुए पूरी तरह से गलती की है। वास्तव में, हम यह समझने में विफल हैं कि एन. सी. टी. ई. ने उक्त आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी, जबकि इसका विशिष्ट मत यह है कि उक्त 18 महीने का पाठ्यक्रम केवल सेवारत उम्मीदवारों के लिए था और नए उम्मीदवारों पर लागू नहीं था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हम यह भी समझने में विफल हैं कि 6 जनवरी 2021 के संचार के माध्यम से, एन. सी. टी. ई. ने पटना उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को स्वीकार करने का फैसला क्यों किया।

32. जहाँ तक त्रिपुरा उच्च न्यायालय का संबंध है, यह फिर से संजय कुमार यादव (उपरोक्त) के मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। इसलिए हम मानते हैं कि पटना उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय दोनों द्वारा लिए गए विचार कानूनी रूप से सही नहीं थे।

33. हम आगे बताते हैं कि उत्तराखंड राज्य द्वारा बनाए गए 2012 के सेवा नियम एन. सी. टी. ई. द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को जारी अधिसूचना के आधार पर बनाए गए थे। 2012 के इन सेवा नियमों में समय-समय पर संशोधन किया गया था और विज्ञापन की तारीख से ही ये नियम लागू थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

उत्तराखंड राज्य में बी. टी. सी. प्रशिक्षण के रूप में जाने जाने वाले 2 साल के पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से न्यूनतम योग्यता प्रदान करता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को एन. आई. ओ. एस. से 2 साल का D.El.Ed. पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी. ई. टी.) में उत्तीर्ण होना चाहिए या जिसने एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से 2 साल का D.El.Ed. पाठ्यक्रम पूरा किया हो और टी. ई. टी. में उत्तीर्ण होना चाहिए। विभिन्न जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा जारी विज्ञापनों में भी समान योग्यता प्रदान की गई थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा प्राप्त करना वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता थी। मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ऊपर), जिसमें यह न्यायालय

संविधान पीठ सहित अपने पहले के निर्णयों का उल्लेख किया है: “15. संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में एक संविधान पीठ [संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1910:(1968) 1 एस. सी. आर. 111] ने भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1954 के खिलाफ पदोन्नति के लिए प्रशासनिक अभ्यास का विवरण देते हुए भारत सरकार द्वारा जारी पत्रों की प्रयोज्यता पर विचार किया। संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि: (ए. आई. आर. पी. 1914, पैरा 7) “7. हम श्री एन. सी. चटर्जी के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि चयन श्रेणी के पदों पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक नियमों के अभाव में सरकार प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है और ऐसे प्रशासनिक निर्देश पहले से बनाए गए नियमों में नहीं पाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते हैं। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। यह सच है कि चयन श्रेणी के पदों पर कनिष्ठ या वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांत को निर्धारित करने वाले नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक इस संबंध में वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक सरकार चयन श्रेणी के पदों पर संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत के बारे में प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है।

यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप रहते हैं तो सरकार कमियों को दूर कर सकती है और नियमों को पूरा कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हों।”

(जोर दिया गया)

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 616 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

615

16. भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल [भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल]

अशोक कुमार अग्रवाल (2013) 16 एस. सी. सी. 147:(2014) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 405] इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एक विभागीय जांच को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों के संदर्भ में बोलते हुए दोहराया कि एक आधिकारिक आदेश या आधिकारिक ज्ञापन वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। बी. एस. चौहान, जे. ने निम्नलिखित शब्दों में कानून में स्थिति का उल्लेख किया: (एस. सी. सी. पी. 172, पैरा 59)

“59. ऊपर निर्धारित कानून का लगातार पालन किया गया है और यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कोई प्राधिकरण वैधानिक नियमों के उल्लंघन में आदेश/कार्यालय ज्ञापन/कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता है। हालांकि, निर्देश केवल वैधानिक नियमों के पूरक के लिए जारी

किए जा सकते हैं, लेकिन इसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। इस तरह के निर्देश वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने चाहिए। (भारत संघ बनाम मजजी जंगमया [संघ]

भारत सरकार बनाम मजजी जंगमया, (1977) 1 एस. सी. सी. 606:1977 एससीसी (एल एंड एस) 191], पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1987) 3 एस. सी. सी. 622:1987 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 310], पलुरु रामकृष्णैया बनाम भारत संघ [पलुरु रामकृष्णैया] बनाम भारत संघ, (1989) 2 एस. सी. सी. 541:1989 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 375], सी. रंगास्वमैया बनाम कर्नाटक लोकायुक्ता [सी. रंगास्वमैया बनाम। कर्नाटक लोकायुक्ता, (1998) 6 एस. सी. सी. 66:1998 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1448] और एयर लाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाम नागरिक उड्डयन के महानिदेशक [एयर लाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाम नागरिक उड्डयन के महानिदेशक, (2011) 5 एससीसी 435]।”

(जोर दिया गया)

17. पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1987) 3 एससीसी 622:1987 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 310] इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन को प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया, जिसने संबंधित विनियमों में संशोधन किए बिना यू. पी. लोक सेवा आयोग में सहायक सिविल इंजीनियरों की भर्ती के तरीके में कथित रूप से संशोधन किया था। न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी. पी. 640, पैरा 20)

“20. हमारी राय में यूनाइटेड प्रोविंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (बिल्डिंग्स एंड रोड्स ब्रांच) क्लास II नियम, 1936 में संशोधन करने का उद्देश्य रखने वाला दिनांकित 7-12-1961 का आधिकारिक सीई ज्ञापन ऐसा नहीं कर सकता है।

वैधानिक नियमों को ओवरराइड, संशोधित या प्रतिस्थापित करें। यह ज्ञापन एक प्रशासनिक आदेश या निर्देश के अलावा और कुछ नहीं है और इस तरह यह कुछ जोड़कर वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य) में कहा गया है।

राजस्थान, ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1910:(1968) 1 एससीआर 111]। इसके अलावा सेवा नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने के बाद सेवा के सदस्य बने अस्थायी सहायक अभियंताओं को जो लाभ प्रदान किए गए हैं, वे नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार उनकी वरिष्ठता

की गणना करने के हकदार हैं, जैसा कि उनके सेवा का सदस्य बनने की तारीख से था, और इसे 1969 और 1971 के नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह मनमाना, तर्कहीन और उचित नहीं है।”

(जोर दिया गया) "34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह एक सामान्य कानून है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप रहते हैं, तो यह कमियों को दूर कर सकता है और नियमों को पूरा कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कोई प्राधिकरण वैधानिक नियमों के उल्लंघन में आदेश/आधिकारिक ज्ञापन/कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता है। हालांकि, निर्देश केवल वैधानिक नियमों के पूरक के लिए जारी किए जा सकते हैं, लेकिन इसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं।

35. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, 22 सितंबर 2017 का एन. सी. टी. ई. मान्यता आदेश जारी किया गया था ताकि 8 सितंबर 2017 के एम. एच. आर. डी. के निर्देशों को प्रभावी बनाया जा सके ताकि उन शिक्षकों को एक बार का समय दिया जा सके जो पहले से ही काम कर रहे थे और जिन्हें 2017 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में 1 अप्रैल 2019 से पहले न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उक्त आदेश, किसी भी मामले में, उत्तराखंड राज्य को अपने 2012 के सेवा नियमों और ऐसे सेवा नियमों के आधार पर जारी किए गए विज्ञापनों के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश नहीं माना जा सकता है।

36. हम आगे कहते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश है कि 18 महीने D.El.Ed। एन. आई. ओ. एस. द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (ओ. डी. एल.) पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है जो गलत है। एन. सी. टी. ई. द्वारा 23 वीं 617 की अधिसूचना के स्थान पर जारी किए गए उस प्रभाव अधिनियम के लिए कोई अधिसूचना नहीं है।

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 618

अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011, जिसमें इसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 साल का डिप्लोमा प्रदान किया। दोहराने की कीमत पर, हम स्पष्ट करते हैं कि एन. सी. टी. ई. की 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई थी, जबकि 22 सितंबर 2017 का मान्यता आदेश एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में पारित किया गया था।

37. एक पल के लिए यह मानते हुए कि 18 महीने D.El.Ed। ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से एन. आई. ओ. एस. द्वारा डिप्लोमा एन. सी. टी. ई. की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के तहत मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है, अगले प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या राज्य को न्यूनतम योग्यता निर्धारण निर्धारित करने

से प्रतिबंधित किया जा सकता है जो उससे अधिक है।के मामले में विचार के लिए एक समान प्रश्न उत्पन्न हुआ

एस. सत्यपाल रेड्डी और अन्य बनाम ए. पी. सरकार और अन्य **7**, जिसमें यह

न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:“7. राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भर्ती को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति दी गई है, जिसमें राज्य के तहत किसी कार्यालय या पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के निर्धारण शामिल हैं।चूँकि अधिनियम के तहत परिवहन विभाग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और उन पदों पर नियुक्त अधिकारी राज्य सेवा से संबंधित होते हैं, इसलिए अपने स्वयं के अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, राज्य सरकार एक आवश्यक सहायक के रूप में भर्ती या सेवा की शर्तों के लिए योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। लेकिन तब तक

विहित करते हुए, राज्य सरकार अर्हता प्रदान करने वालों को स्वीकार कर सकती है या उच्च योग्यता निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसी भी मामले में अधिनियम की धारा **214** की उप-धारा **(4)** के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता प्रदान करने वालों से कम कोई योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती है।”

[जोर दिया गया]38. इसलिए हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश देने में गलती की है जो 2012 के सेवा नियमों के अनुसार और सेवा नियमों के आधार पर विज्ञापन के अनुसार अर्हता प्राप्त नहीं थे, विशेष रूप से जब 2012 के सेवा नियम और विज्ञापन नहीं थे।

7 (1994) 4 एस. सी. सी. 391/1994 आई. एन. एस. सी. 196

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

चुनौती के तहत।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ऐसे सेवा नियमों के विपरीत ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता था।

39. यह हमें इस सवाल के साथ छोड़ देता है कि क्या उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया गया था कि एन. आई. ओ. एस. द्वारा ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने के डिप्लोमा को एन. सी. टी. ई. की 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के तहत आवश्यक 2 साल के डिप्लोमा के बराबर कहा जाता है। 40. इस न्यायालय की टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा

देवेंद्र भास्कर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का मामला **8**,

जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

“21. मोहम्मद शुजात अली बनाम भारत संघ, (1975) 3 एस. सी. सी. 76

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शैक्षिक योग्यताओं की समानता के बारे में प्रश्न एक तकनीकी प्रश्न है जो उचित मूल्यांकन और प्रासंगिक शैक्षणिक मानकों के मूल्यांकन और ऐसी योग्यताओं की व्यावहारिक उपलब्धियों पर आधारित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां सरकार का निर्णय किसी विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित है, वहां न्यायालय, प्रासंगिक आंकड़ों से अनजान और समानता निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी अंतर्दृष्टि से सहायता प्राप्त नहीं है, सरकार के निर्णय को हल्के में तब तक बाधित नहीं करेगा जब तक कि यह बाहरी या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित न हो या दुर्भावनापूर्ण न हो या तर्कहीन और विकृत या स्पष्ट रूप से गलत न हो।

22. जे. रंगा स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, (1990)

1 एस. सी. सी. 288 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता की प्रासंगिकता पर विचार करना न्यायालय का काम नहीं है।

23. राजस्थान राज्य बनाम लता अरुण, (2002) 6 एस. सी. सी. 252 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए या सेवा में भर्ती या पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले मामले हैं। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

“13. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के अनुपात से, यह स्पष्ट है कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए या सेवा में भर्ती या पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले मामले हैं। यह तय करना अदालतों का काम नहीं है कि क्या किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए।

8 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 1116/2021 आई. एन. एस. सी. 783 619

जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] 620

या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यता के समकक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।”

24. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम संजय कुमार कटवाल, (2009)

1 एस. सी. सी. 610 इस न्यायालय ने दोहराया है कि समानता एक तकनीकी शैक्षणिक मामला है। इसे निहित या अनुमानित नहीं किया जा सकता है। समतुल्यता से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निकाय का कोई भी निर्णय एक विशिष्ट आदेश या संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे विधिवत प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट करते हुए कि क्या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम उसमें अपीलार्थी विश्वविद्यालय की एम. ए. (अंग्रेजी) की डिग्री के बराबर है, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उसके समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई थी।

25. जहूर अहमद राथर बनाम शेख इम्तियाज अहमद (2019) 2 एससीसी

404, यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य, एक नियोक्ता के रूप में, नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, विभिन्न योग्यताओं की कार्यक्षमता, विभिन्न योग्यताओं के अधिग्रहण के लिए पाठ्यक्रम सामग्री आदि को ध्यान में रखते हुए पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। न्यायिक समीक्षा न तो निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार कर सकती है और न ही किसी अन्य दी गई योग्यताओं के साथ निर्धारित योग्यताओं की समानता तय कर सकती है। योग्यता निर्धारण की समानता राज्य के लिए, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, निर्धारित करने का विषय है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कला और शिल्प में दिया जाने वाला डिप्लोमा/डिग्री हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प में दो वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा या निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा आयोजित कला और शिल्प में डिप्लोमा के बराबर है।”

41. इस न्यायालय द्वारा इसके ऊपर जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, हम यह मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि एन. आई. ओ. एस. द्वारा ओ. डी. एल. मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर है, विशेष रूप से तब जब यह अभिनिर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि इस तरह की योग्यता की अनुशंसा विशेषज्ञ निकाय एन. सी. टी. ई. द्वारा की गई थी। इसके विपरीत, एन. सी. टी. ई. का 6 सितंबर 2019 का संचार, एम. एच. आर. डी. के निर्देश और 22 सितंबर 2017 का मान्यता आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 18 महीने का डिप्लोमा एक के रूप में प्रदान किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

2017 के संशोधन अधिनियम और 1 अप्रैल 2019 की बाहरी सीमा के बीच न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए सेवाकालीन शिक्षकों के लिए समय सीमा। हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से गलती की है कि 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने के डिप्लोमा के बराबर है।

42. यह हमें राम शरण मौर्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर एन. सी. टी. ई. के विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता के साथ छोड़ देता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एन. सी. टी. ई. को न्यूनतम योग्यता निर्धारण निर्धारित करने का अधिकार है। वर्तमान मामले में ही, एन. सी. टी. ई. ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना द्वारा ऐसा किया है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, 22 सितंबर 2017 का

मान्यता आदेश केवल सेवाकालीन शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 से पहले अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। अतः उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।

43. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं: (i) अपीलों की अनुमति है।

(ii) नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14 सितंबर 2022 के विवादित फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया है; और

(iii) मूल रिट याचिकाकर्ताओं के नेतृत्व में दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

44. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन